

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021 शिविर स्थल - रमणिया )

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कुसुमलता चौहान , उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
वादीगण :-

1. श्री गोर्धनसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम रमणीया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. श्री रमेश कुमार पुत्र दुर्गसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम रमणीया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. चम्पादेवी पत्नी स्व. कस्तुराजी जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. जोगसिंह पुत्र स्व. कस्तुराजी जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. देवीसिंह पुत्र स्व. कस्तुराजी जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील जिला बाडमेर
4. सोरमकंवर पुत्री स्व. कस्तुराजी जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील जिला बाडमेर
5. स्व. छगनलाल पुत्र स्व.कस्तुराजी जाति पुरोहित निवासी रमणिया के वारिसान:-
- 5/1 सतीदेवी पत्नी स्व. छगनलाल जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 5/2 पुष्पादेवी पुत्री स्व. छगनलाल जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 5/3 मोहनदेवी पुत्री स्व. छगनलाल जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 5/4 संतोषदेवी पुत्री स्व. छगनलाल जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 5/5 सदाकंवर पुत्री स्व. छगनलाल जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 5/6 सुमित्रा कुमारी पुत्री स्व. छगनलाल जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर दावा बाबत खातेदारी अधिकार घोषणा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 22 / 2019

निर्णय दिनांक :- 29.10.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय रमणिया )

वादीगण की ओर से वादीगण वकील श्री जयप्रकाश रामदेव व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.10.2021 को श्रीमती कुसुमलता चौहान उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 1445, 1532/157,1578/524, 1586/696, 1598/782, 1600/787,1619/1159,1627/1449 व 530 रकबा 31.16 बीघा अर्थात 5.1476 हैक्टर भूमि में वादीगण का 1/12 -1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/6-1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5/1 ता 5/6 का 1/36-1/36 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करे। खर्चों पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( कुसुमलता चौहान )

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021

दिनांक : 29.10.2021

क्रमांक: वाचक/2021/728)

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना

( कुसुमलता चौहान )

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021